झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः– खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार से Building Plan Approval की शक्तियाँ धनबाद नगर निगम एवं चिरकुण्डा नगर पंचायत को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के नियम–30 (1) में निम्न प्रावधान उपबंधित हैं :–

Permission for Development - (1) Any person or body (excluding a department of Central or State Government or local Authority, a public sector undertaking) intending to carry out any development on any land shall make an application in writing to the Authority for permission in such form and containing such particulars and accompanied by such document and plans as may be prescribed by the rules or the regulations:

Provided that the above provision shall be effective in those areas where the authority is to carry out the plan and it shall not be essential to get the map passed for those areas where the Authority is not to carry out any scheme.

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–615 की उपधारा–(4) में प्रावधानित है कि झारखण्ड खनिज विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के अधीन गठित खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शर्त्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से निष्प्रभावी हो जायेगा, प्राधिकार के अध्यधीन क्षेत्र सम्बद्ध नगर निकाय में समाहित हो जायेगा।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा–2 की उपधारा–I के द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–615 की उपधारा–(4) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है :–

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के अधीन गठित खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शर्त्तों के अध्यधीन तथा संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में निष्प्रभावी हो जायेगा।

" परन्तु यह कि खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा संचालित जलापूर्ति योजनाएँ राज्य सरकार के अगले आदेश तक धनबाद नगर निगम क्षेत्र में संचालित की जा सकेगी।"

2332
28/04/16

3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं :–

(क) धनबाद नगर निगम एवं चिरकुण्डा नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित सभी भवनों के लिए खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार से Building Plan Approval की शक्तियाँ धनबाद नगर निगम एवं चिरकुण्डा नगर पंचायत को हस्तान्तरित की जाती हैं।

धनबाद नगर निगम एवं चिरकुण्डा नगर पंचायत अपने अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों का Building Plan Approval का सभी कार्य नियमानुसार संपादित करेगा।

Building Plan Approval के परिप्रेक्ष्य में धनबाद नगर निगम एवं चिरकुण्डा नगर पंचायत से संबंधित सभी अभिलेख, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा धनबाद नगर निगम एवं चिरकुण्डा नगर पंचायत को उपलब्ध करा दिए जाऐंगे।

(ख) खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा धनबाद नगर निगम क्षेत्र में संचालित की जा रही जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित विहित कर की वसूली प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

(ग) धनबाद नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पति कर वसूली का कार्य सन्दर्भित नियमावली के प्रावधानों के आलोक में धनबाद नगर निगम के द्वारा किया जायेगा।

rk_sankalp 3

उक्त वसूली की कार्रवाई धनबाद नगर निगम के कर्मियों के द्वारा की जायेगी। यदि, सम्पति कर वसूली की कार्रवाई, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के कर्मियों की सहायता से की जायेगी, तो इस स्थिति में धनबाद नगर निगम के द्वारा नियमानुसार प्राधिकार के कर्मियों को वेतन का भुगतान किया जायेगा।

4. यह आदेश सद्यः प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ।

28.4.16

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 1/मु0स्था0(भ0उ0)–18/2016......2332...... **राँची/दिनांकः**–28/04/16

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रकाशनोपरान्त संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

28.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 1/मु0स्था0(भ0उ0)–18/2016......2332...... **राँची/दिनांकः**–28/04/16

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त, धनबाद/प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद/नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद/सभी शहरी स्थानीय निकाय/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

28.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

rk_sankalp 4